

ग्राम बसरेही, तहसील मऊ, जनपद चित्रकूट में 12.46 हेक्टेयर क्षेत्रफल में श्री प्रकाश चन्द्र द्विवेदी प्रस्तावित पट्टाधारक की सैंड/मौरम माइनिंग प्रोजेक्ट के प्रस्ताव पर आयोजित लोकसुनवाई दिनांक—09.07.2012 का कार्यवृत्त—

उपरोक्त संदर्भित प्रस्तावित सैंड/मौरम माइनिंग प्रोजेक्ट के पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में प्राप्त हुआ था। प्राप्त प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक—14.9.2006 के अनुपालन में लोक सुनवाई आयोजित करने संबंधी प्रस्ताव जिलाधिकारी चित्रकूट के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी। प्रस्तुत प्रस्ताव पर जिलाधिकारी द्वारा लोकसुनवाई दिनांक—09.07.2012 को ग्राम बसरेही में आयोजित करने संबंधी प्राप्त निर्देश के अनुपालन में लोक सुनवाई आयोजित करने संबंधी सूचना संदर्भित अधिसूचना में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सुनवाई की तिथि से एक माह पूर्व हिन्दी दैनिक समाचार पत्र “हिन्दुस्तान” के कानपुर संस्करण में एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र “हिन्दुस्तान टाइम्स” के लखनऊ संस्करण में दिनांक—05.6.2012 में प्रकाशित करायी गयी थी।

आज दिनांक—09.7.2012 को जिलाधिकारी चित्रकूट द्वारा नामित उप जिलाधिकारी, मऊ श्री अभयराज की अध्यक्षता में मध्यान्ह 12.00 बजे से प्रस्तावित खनन स्थल के समीप ग्राम बसरेही के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में आयोजित की गयी।

उक्त लोकसुनवाई में निम्नांकित सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित थे।

1. श्री अभय राज, उपजिलाधिकारी मऊ, जनपद—चित्रकूट।
2. डा० टी० एन० सिंह, सहा० वैज्ञा० अधि०, कृते क्षेत्रीय अधिकारी, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।
3. श्री प्रवीण कुमार दुबे, परामर्शी मे० ईको मैन लैब प्रा० लि० लखनऊ।
4. अन्य उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति की छायाप्रति संलग्न है।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के प्रारम्भ में उपस्थित जनसमुदाय को डा० टी० एन० सिंह, सहा० वैज्ञा० अधि०, उ० प्र० प्र० नि० बोर्ड, झांसी द्वारा अध्यक्ष महोदय से लोक

105.

सुनवाई प्रारम्भ करने की अनुमति लेने के पश्चात् प्राप्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि यमुना नदी के ग्राम बसरेही में श्री प्रकाश चन्द्र द्विवेदी द्वारा सैण्ड/मोरम माइनिंग हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने संबंधी प्रस्ताव बोर्ड में प्राप्त होने के पश्चात् जिलाधिकारी चित्रकूट से लोक सुनवाई की तिथि नियत करने संबंधी पत्र प्रेषित किया गया था। जिलाधिकारी चित्रकूट द्वारा दिनांक—09.7.2012 को लोक सुनवाई आयोजित किये जाने की तिथि नियत की गयी थी। श्री द्विवेदी द्वारा मेसर्स ईको मैन लैब इण्डिया प्रा० लि० लखनऊ को पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन एवं पर्यावरणीय प्रबन्ध योजना तैयार करने हेतु परामर्शी नियुक्त किया गया था। परामर्शी द्वारा पर्यावरण के विभिन्न घटकों का अनुश्रवण/आकड़ों का एकत्रण कर पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट/पर्यावरणीय प्रबंधन योजना बोर्ड में प्रेषित की गयी थी। उक्त आकड़ों को लोकसुनवाई में उपस्थित सदस्यों को अवगत कराने हेतु डा० टी० एन० सिंह द्वारा परामर्शी को निर्देश दिये गये।

परामर्शी श्री प्रवीण कुमार दुबे मे० ईको मैन लेबोरेटरीज प्रा० लि० लखनऊ द्वारा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन/पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया, तथा ऑकड़ों को प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। यह भी अवगत कराया गया कि एकत्रित ऑकड़ों से सुस्पष्ट है कि खनन क्षेत्र में 10 किमी की त्रिज्या में प्रदूषण का स्तर भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है परन्तु मृदा परीक्षण से सुस्पष्ट है कि मृदा में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी है जिससे फसलों पर विपरीत प्रभाव पड़ना अवश्यंभावी है। मृदा को उपजाऊ बनाने हेतु आवश्यक पोषक तत्वों से उपचारित किया जाना उचित होगा।

अग्रेतर अवगत कराया गया कि खनन कार्य से उत्पन्न वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु उक्त परियोजना में पानी के छिड़काव एवं बालू को गीला कर ही परिवहन किये जाना प्राविधानित है। यदि पट्टेधारक द्वारा पर्यावरणीय प्रबंधन योजना में सुझाये गये उपायों के अनुरूप खनन/परिवहन ~~एवं उत्पादन~~ का उपयोग इत्यादि कार्य किया जाता है तो पर्यावरण पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अग्रेतर अवगत कराया गया कि मौरम का खनन कार्य मैनुवल विधि से किया जायेगा। खनन हेतु किसी भी तरह की आधुनिक मशीनों का प्रयोग नहीं किया जायेगा, तथा परिवहन हेतु उपयोग में लाये गये वाहनों से परिवेशीय वायु गुणता को प्रभावित होने से बचाने के लिए आवागमन के कच्चे रास्तों पर जल छिड़काव की व्यवस्था भी की जायेगी। परिवहन में लज्जे संसाधनों का उद्देश्य प्राप्ति (उत्तराधिकारी कोड़ी)

उक्त के पश्चात् डा० टी० एन० सिंह द्वारा उपस्थित जन समुदाय से प्रस्तावित माइनिंग प्रोजेक्ट पर अपनी आपत्तियाँ/ सुझाव/ टीका टिप्पणी यदि कोई हो तो कम से प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया।

1. सर्वपथम श्री सुभाष द्विवेदी ग्राम बसरेही द्वारा अवगत कराया गया कि यह क्षेत्र गंगा यमुनी क्षेत्र है और यहाँ पर पूरे देश से लोग आकर उसमें रनान करके मोक्ष प्राप्त करते हैं इस कारण उक्त दोनों नदियों को किसी भी प्रकार के प्रदूषण से बचाने हेतु हम सबका उत्तरदायित्व बनता है फिर भी खनन कार्य अत्यन्त आवश्यक है। खनन से बहुत सारे बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त होगा।
2. श्री शिवचरण उपाध्याय ग्राम बसरेही द्वारा भी खनन काय प्रारम्भ करने हेतु अनुरोध किया गया जिससे कि मजदूरों को रोजगार मिल सके तथा समाज का आर्थिक सामाजिक विकास संभव हो सके।
3. श्री कालीचरण उपाध्याय ग्राम बसरेही द्वारा भी खनन से होने वाले लाभ के बारे में जनसमुदाय को अवगत कराया गया कि खनन प्रारम्भ होने से लोगों को रोजगार मिलेगा, पैसा मिलेगा तथा परिवार पलेगा। खनन से किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनीची चाहिए।
4. सभाध्यक्ष श्री अभयराज उप जिलाधिकारी तहसील मऊ द्वारा उपस्थित जनसमुदाय से पूछा गया कि उक्त आयोजित लोक सुनवाई की सूचना आप लोगों को किस माध्यम से प्राप्त हुई है?

ग्रामवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त लोकसुनवाई की सूचना समाचार पत्रों एवं ग्राम प्रधान द्वारा उक्त के सम्बन्ध में की गयी मुनादी से प्राप्त हुयी थी।

उपजिलाधिकारी द्वारा पुनः पूछा गया कि किस समाचार पत्र में एवं किस दिनांक को उक्त समाचार प्रकाशित हुआ था तथा ग्राम प्रधान को मुनादी हेतु किसी अधिकारी ने आदेश दिया था।

कई ग्रामवासियों द्वारा उक्त समाचार पत्र अमर उजाला में प्रकाशित होने की सूचना दी गयी, तथा अनेक सदस्यों ने इस सम्बन्ध में अनभिज्ञता प्रकट की। ग्राम प्रधान लोकसुनवाई में उपस्थित नहीं थे अतएव मुनादी के सम्बन्ध में कोई भी स्पष्ट उत्तर प्राप्त नहीं हो सका।

उपजिलाधिकारी द्वारा उपस्थित सदस्यों से उनके ग्राम के सम्बन्ध में सूचना चाही गयी।

उपस्थित सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम बसरेही के साथ साथ आस-पास के अन्य गाँवों से भी लोग उपस्थित हुये हैं।

उपजिलाधिकारी द्वारा मैं ईकोमैन लेबोरेटरीज प्रा० लि० लखनऊ द्वारा प्रस्तुत आकड़े इस गाँव के आस-पास 10 किमी के क्षेत्र में एकत्रित करने हेतु अवगत कराया गया है। उक्त संबंध में ग्रामवासियों को कोई भी जानकारी नहीं है। उपस्थित परामशी द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त अनुश्रवण कार्य से संबंधित सूचनायें एवं नमूना एकत्रण बिन्दु की जानकारी ग्राम प्रधान को है। मौके पर ग्राम प्रधान के उपस्थित नहीं होने के कारण उक्त की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अन्त में उपस्थित समस्त सदस्यों द्वारा खनन का कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ करने हेतु हाथ उठाकर समर्थन किया गया।

सहायक वैज्ञानिक अधिकारी डा० टी० एन० सिंह द्वारा अध्यक्ष महोदय से परियोजना के सम्बन्ध में ग्रामवासियों के अनुरोध/सुझावों पर आवश्यक टिप्पणी करने हेतु अनुरोध किया गया।

उपजिलाधिकारी द्वारा परियोजना के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी दी गयी तथा अवगत कराया गया कि नियमानुसार ही खनन कार्य किये जाने हेतु आवश्यक उपाये किये जायेंगे तथा प्रस्तावित पट्टेधारक को परियोजना में वर्णित

Ans.

प्राविधानों के अनुरूप मौरम के परिवहन/खनन किये जाने हेतु आवश्यक निर्देश दिये जायेगें तथा ग्राम-वासियों द्वारा दिये गये सुझावों/अनुरोधों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा।

अन्त में डा० टी० एन० सिंह द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों को लोकसुनवाई में भाग लेने हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया गया, तथा अध्यक्ष महोदय से अनुमति प्राप्त कर लोकसुनवाई के समापन की घोषणा की गयी।

- उपरोक्त कार्यवृत्त अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु संस्तुति सहित सादर अग्रसारित।

डा० टी० एन० सिंह^(Dr. T.N. Singh)
Asstt. Scientist
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी
उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, झांसी

अभय राज^(Abhay Raj)
उप जिलाधिकारी
तहसील-मउ, जनपद-चित्रकूट

अपर जिलाधिकारी (वि० एवं रा०)
कर्वी, चित्रकूट।